

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ-22601

संख्या-600-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2009-26-ज0श0 एवं प्र0सु0/2009 दिनांक 24 अक्टूबर, 2009.

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 में निहित प्राविधानानुसार स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर के गठन के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निदेशक मण्डल की 78 वीं बैठक में निर्णय संख्या अठहत्तर (90)/09 तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि0, के निदेशक मण्डल की अठारहवीं बैठक में निर्णय संख्या अट्ठारह (43)/09 के परिप्रेक्ष्य में "स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर निदेशालय" के स्वतन्त्र सरकारी तन्त्र के गठन होने तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन स्टेट ट्रॉन्समिशन यूटिलिटी इकाई के तत्काल प्रभाव से सृजन की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 'स्टेट ट्रॉन्समिशन यूटिलिटी इकाई' का कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा।

- 1-पावर कारपोरेशन के अधीन कार्यरत ऊर्जा नियन्त्रण सम्बन्धित विभिन्न इकाईयों यथा ऊर्जा प्रणाली संगठन, यूनीफाइड स्कीम इकाई (एम0बी0एम0एस0 सहित), ऊर्जा लेखा, माइक्रोवेव सर्किल एवं ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय इस नव सृजित इकाई के अधीन कार्य करेंगे। इस इकाई का प्रशासनिक नियन्त्रण मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण), मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा लेखा निदेशालय) एवं मुख्य अभियन्ता (पी0पी0ए0) में से वरिष्ठतम मुख्य अभियन्ता के अन्तर्गत होगा।
- 2-स्टेट ट्रॉन्समिशन यूटिलिटी इकाई, एस0एल0डी0सी0 के सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कार्य करेगी।
- 3-'स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर' निदेशालय के गठन घोषित होने पर मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण), मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा लेखा निदेशालय) एवं मुख्य अभियन्ता (पी0पी0ए0) का प्रशासनिक नियन्त्रण, इकाई प्रमुख, निदेशक (एस0एल0डी0सी0) के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो जायेगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0
पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि0 के
निदेशक मण्डलों की आज्ञा से

21



कमशः.....

(2)

संख्या-600-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1 सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध अधिशासी निदेशक एवं स्टाफ आफिसर तथा अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन लखनऊ।
- 3 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 4 निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव ज०पा० पावर ट्रान्मिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5 प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 6 समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक गण से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रान्मिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7 समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रान्मिशन कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।
- 8 अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय)/(का०वि०नी०),/महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र०पा० का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9 मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली)/मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा लेखा निदेशालय)/मुख्य अभियन्ता (पी०पी०ए०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण) उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ को पत्र सं०-107/मु०अ० (ऊ०प्र०)/कैम्प/०९ दिनांक 10.07.2009 के सन्दर्भ में।
- 10 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11 समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12 कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रान्मिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक-517/पाकालि/बैठक (78)/2009 दिनांक 16.06.2009 तथा संख्या 513/सी०एस०ट्रान्स्को/बैठक (18)/2009 दिनांक 12.06.2009 के संदर्भ।
- 13 अधिशासी अभियन्ता (वेब०), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपडेशन हेतु।
- 14 समस्त अनुभाग अधिकारी/शिविर/प्रकोष्ठ, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आर० के० पाण्डेय)

संयुक्त सचिव (ज०श० एवं प्र०सु०)

Am